खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0069 / 2017

1. अभिनव सिंह राठौर पुत्रश्री रघुनाथ सिंह राठौड़ मैनेजर / विक्रेता मैसर्स ब्लूचीली रेस्टोरेन्ट होटल (A Unit of Shri Motels Pvt. Ltd.) अमित पैलेस सुखाड़िया सर्किल अजमेर रोड, भीलवाड़ा स्थायी पता मकान संख्या 38, बीएसएल, विस्तार, महावीर कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती लक्ष्मी बोरदिया पत्नि श्री सुरेन्द्र बोरदिया, निदेशक फर्म पता क्षितिज होटल, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा (राज.)
3. श्री क्षितिज बोरदिया पुत्र श्री सुरेन्द्र बोरदिया, निदेशक फर्म पता क्षितिज होटल, अजमेर रोड़ भीलवाड़ा (राज.)
4. श्री अभिजित बोरदिया पुत्र श्री सुरेन्द्र बोरदिया, निदेशक फर्म क्षतिज होटल, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा (राज.)
5. फर्म मैसर्स ब्लू चीली रेस्टोरेन्ट (A Unit of Shri Motels Pvt. Ltd.) होटल अमित पैलेस, सुखाड़िया सर्किल, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा (राज.)

——अपीलार्थीगण

:: विरूद्व ::

1. राजस्थान सरकार जरिए राजस्थान राज्य
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री संजय सिंह, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थितः—

1. श्री सियाराम शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अभिजित शर्मा, अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण राज्य

:: निर्णय :: **दिनांक : 07.02.2018**

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 28.02.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 03 / 2016 सरकार बनाम अभिनव सिंह वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट सं.01 से 05 प्रत्येक पर 25,000रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) कुल 1,25,000 (अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपये) रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि खाद्य पदार्थ (दही) को परीक्षण करने का तरीका मशीन का न होकर हाथ से परीक्षण किया गया है जिसके विश्लेषण में मानवीय त्रुटि की संभावना होने से इंकार नहीं किया जा सकता। खाद्य पदार्थ (दही) में मिल्क फेट 3.5 प्रतिशत के स्थान पर 3.26 प्रतिशत आया है अर्थात 0.24 प्रतिशत की कमी बताई गई है जो विश्लेषण में मानवीय भूल हो सकती है।

3. प्रत्यर्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि विश्लेषण में मानवीय त्रुटि की कोई संभावना नहीं है।

4. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

5. योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण ने अपील में लिए गए तर्को की पुनरावृति की जबकि प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

6. अवधार्य बिन्दु :––

> ''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के यहां से लिए गए खाद्य पदार्थ (दही) के सैम्पल को मानक का नहीं मानने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

7. विनिश्चयः–– अपीलार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

8. विनिश्चय के कारणः––

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि मानक के अनुसार मिल्क फेट दही में 3.5 प्रतिशत होना चाहिए जबकि विश्लेषण से 3.26 प्रतिशत था, जो विश्लेषण की त्रुटि भी रह सकती है। परन्तु यह अधिकरण उनके इस तर्क से सहमत नहीं है। यदि विश्लेषण से मिल्क फेट 3.5 प्रतिशत आता तो यह नहीं कहा जा सकता कि विश्लेषण में रही त्रुटि के कारण सही रिपोर्ट आई है। मानवीय त्रुटि की जो संभावना व्यक्त की गई है इस तथ्य को शास्ति अधिरोपित करते वक्त योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए था, प्रकरण में अधिरोपित की गई शास्ति अत्यधिक है। अतः आदेश की संपुष्टि करते हुए केवल मात्र शास्ति को कम किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 03/2016 सरकार बनाम अभिनव सिंह वगैरा में पारित किया गया में अपीलार्थीगण पर जो शास्ति आरोपित की गई, उसे अपास्त करते हुए अपीलार्थी संख्या 01 विक्रेता पर 25,000रूपये के स्थान पर 10,000 रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अपीलार्थी सं. 05 फर्म है जोकि खाद्य पदार्थ का निर्माता है पर 25,000रूपये के स्थान पर 10,000रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अपीलार्थी सं.02, 03 व 04 फर्म के निदेशक है, सभी पर फर्म की ओर से अलग–अलग शास्ति अधिरोपित नहीं हो सकती। अतः अपीलार्थी सं.02, 03 व 04 पर संयुक्त रूप से 5,000रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। इसप्रकार कुल शास्ति 25,000रूपये (कुल अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थीगण को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर